प्रति,

वरिष्ठ महा प्रबन्धक
पावर ग्रिड कार्पोरेशन बोईसर
मा गांव रोड जिला पालघर

विषय :– मेरे पति स्व. व्ही. कन्नन तारापुर पॉवर ग्रिड कन्चनी मा गांव (बेटेगांव) मे कार्यरत थे जिनकी मृत्यु दिनांक 15/04/2019 स्वयं फांसी लगाकर आत्म हत्या करने से हो गई है। जिसकी पी.एफ. ग्रेज्युटी एवं अनय मद राशि मुझे प्राप्त करने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि, मैं श्रीमती सुमित्रा बाई उम्र लगभग 53 वर्ष, पति स्व. व्ही. कनन निवासी– पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेरे गांव जिला पाल घर (महाराष्ट्र) हा.मु. ग्राम केन्दईखार (कोटवारिन पारा) तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) की हूं कि मैं स्व. व्ही कन्नन की दूसरी पत्नी हूं मेरे पति स्व. व्ही कन्नन द्वारा ग्राम केन्दईखार (कोटवारिन पारा) जमनीपाली तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) में फांसी लगाकर आत्म हत्या करने से मृत्यु हो गई है मेरे पति का अंतिम संस्कार मेरे द्वारा किया गया है । मै अपने पति स्व. व्ही. कन्नन के साथ विगत 20 वर्षो से दूसरी पत्नी के रूप में विवाह कर रह रही थी।

मेरे पति व्ही. कन्नन की पहली पत्नी श्रीमती राजेश्वरी है जो अपने पति व्ही. कन्नन को 20 वर्ष से छोडकर अलग रह रही थी। स्व. व्ही. कन्नन की पहली पत्नी श्रीमती राजेश्वरी द्वारा व्ही. कन्नन के मृत्यु उपरांत अंतिम कियाकर्म भी नहीं किया गया न ही मेरे द्वारा किये जा रहे कियाकर्म में श्रीमती राजेश्वरी शामिल हुई
मै विगत 20 वर्षो से स्व. व्ही. कन्नन के साथ दूसरी पत्नी के रूप मे रह रही हूं तथा इस दौरान स्व. व्ही.कन्नन एवं मेरा पति पत्नी जैसा संबंध है। व्ही कन्नन का तबीयत खराब होने पर उसका ईलाज एवं अन्य देखभाल मेरे द्वारा किया जाता था।

मेरे पति स्व. व्ही. कन्नन के मृत्यु उपरांत उनके पॉवर ग्रिड़ कार्पोरेशन ऑफ इंडिया से प्राप्त होने वाली पी.एफ. ग्रेज्युटी बीमा एवं अन्य मद से प्राप्त होने वाली राशि पर मेरा पूरा अधिकार हैं, तथा मुझे प्रदान किया जावे।

श्रीमती राजेश्वरी जो कि, व्ही कन्नन की पहली पत्नी है अपने पति से निरंतर पीछले 20 वर्षो से अलग रह रही थी। ऐसी स्थिति में स्व. व्ही. कन्नन के सर्विस से प्राप्त दोने वाली पी.एफ. ग्रेज्युटी एवं अन्य मद की राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि, श्रीमती राजेश्वरी को पी.एफ. ग्रेज्युटी एवं अन्य मद राशि का भुगतान नही किया जाये और उक्त राशि मुझे प्रदान की जावे, तथा मेरे पति के मृत्यु उपरांत मिलने वाली अनुकम्पा नियुक्ति मुझे व मेरे परिवार के किसी सदस्य को प्रदान की जावे।

स्थान
दिनांक

प्रार्थिया

श्रीमती सुमित्रा बाई
पति स्व. व्ही. कनन
निवासी– पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ
इंडिया बेरे गांव जिला पाल घर (महाराष्ट्र)
हा.मु. ग्राम केन्दईखार (कोटवारिन पारा)
तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)

पावरग्रिड प. क्षे. 13 बोईसर
प्राप्त सं. 98
दिनांक 16.05.19

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

ST/SC/OBC STAMP DUTY EXEMPTED

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

MAY 2019

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

समक्ष :– श्रीमान् नोटरी पब्लिक कोरबा (छ०ग०)

शपथ पत्र

मैं, सुमित्रा बाई, उम्र –53 साल, पति –स्व. व्ही कन्नन्, निवासी–ग्राम केन्दईखार, तहसील कटघोरा, जिला–कोरबा (छ.ग) की होकर निम्नलिखित कथन शपथपूर्वक करती हूं :–

1. यह कि, मैं वर्णित पता मेरे पिताजी का मूल ग्राम है जहॉ मैं पली बढी हूं एवं ग्राम केंदईखार में अपने स्वयं के स्वामित्व के घर में निवासरत हूं ।

2. यह कि, मेरी शादी सन् 1998 में मेरे मूल ग्राम केंदईखार, जिला–कोरबा (छ.ग.) में श्री व्ही. कन्नन् के साथ सामाजिक रीति रिवाज से संपन्न हुयी थी । उस समय मेरे पति कोरबा में पावर ग्रीड कंपनी में नियुक्त एवं सेवारत् थे ।

3. यह कि, शादी पश्चात् मैं अपने पति के साथ जहां जहां वे अपने कंपनी कार्य से सेवारत् थे वहां वहां मैं उनके साथ रहकर दाम्पत्य जीवन का निर्वहन कर रही थी एवं उनका सेवा सत्कार भी मेरे द्वारा किया जाता था ।

4. यह कि, मैं अपने पति–व्ही. कन्नन् के साथ बोईसर मागांवरोड पावरग्रीड तारापुर महाराष्ट्र में 11 साल से उनकी सेवा के दौरान साथ में रही ।

5. यह कि, मेरे पति–व्ही कन्नन् अस्वस्थ होने के कारण मेरे साथ ग्राम केंदईखार रहने आ गये थे जहां उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने से उनका अंतिम संस्कार मेरे समाज के सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार मेरे द्वारा किया गया व संपूर्ण खर्चा मेरे द्वारा किया गया ।

6. यह कि, मैं अपने पति–व्ही. कन्नन् की अचल एवं चल संपत्ति की विधि पूर्वक उत्तराधिकारी हूं एवं उक्त पावरग्रीड कंपनी से प्राप्त होने वाली समस्त देयकों का भुगतान प्राप्त करने के लिए उनकी वैद्य विवाहिता एवं उत्तराधिकारी हूं ।

14 MAY 2019

4 MAY 2019

क्रमांक 6776 दिनांक

स्टाम्प का मूल्य 145 रु.

क्रेता श्री सुमित्रा बाई पति स्व. कोदूराम

जाति

निवास बांकी मोंगरा तहसील कटघोरा जिला कोरबा

मार्फत

बाबत प्रयोजन शपथपत्र

सुमित्रा बाई

मुंशी ... स्टाम्प विक्रेता

जिला न्यायालय परिसर, कोरबा (छ.ग.)

7. यह कि, मेरे पति की मूल दस्तावेज आधार कार्ड, पेनकार्ड मेरे पास रही है जो वर्तमान में थाना दर्री पुलिस द्वारा मुझसे ग्राम केंदईखार में जप्त कर ली गई है ।

8. यह कि, मेरे पति मूलतः तमिलनाडू के रहवासी थे व पॉवर ग्रीड कंपनी में सेवा के दौरान कोरबा एवं महाराष्ट्र में सेवारत थे ।

9. यह कि, यह शपथ पत्र उक्ताशय के संबंध में बतौर साक्ष्य निशपादित है जिसे आवश्यक्तानुसार संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना है ।

(सुमित्राबाई)

MAY 2019

सत्यापन

मैं सुमित्रा बाई, उम्र –53 साल, पति –स्व. व्ही कन्नन्, निवासी–ग्राम केन्दईखार, तहसील कटघोरा, जिला–कोरबा (छ.ग) यह सत्यापित करती हूं कि इस शपथ पत्र की कण्डिका क्रमांक–01 से लेकर 09 के अंत तक में दी गई संपूर्ण जानकारी मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है । अतः दिनांक 04.05.2019 को कोरबा (छ0ग0) में पढ़कर, समझकर, अपना हस्ताक्षर कर सत्यापित की ।

ज्ञानदास
पहचानकर्ता

(सुमित्राबाई)

ज्ञानदास
पिता श्री. शीतल दास
केंदईखार

प्रमाणित किया जाता है कि लेखकर्तागण/शपथकर्ता द्वारा लेख/शपथपत्र पर गवाह के समक्ष अपना हस्ताक्षर कर सत्यापित किया है

MAY 2019

राजकुमार ...
नोटरी, जिला–कोरबा (छ.ग.)
4/5/19

GOVT. OF CHHATTISGARH

GOVT. OF CH

अधिवक्ता / नोटरी
तहसील एवं जिला - कोरबा (छ.ग.)

निवास कार्यालय : बालकदास चौक परसाभाठा शॉप नं.5 बालको, जिला-कोरबा (छ.ग.)

रसीद

(नियम - 11 (9) नो. अधि)

रजि. नं.

रसीद नं. 795 बुक नं.

नोटरी रजि क्र. CG 12/14/Korba दिनांक ....

श्री --

से रुपये 10/- (नो.स्टा.शुल्क)+ 35/- 50/- 45/-, 200/- नो.शु.)

अभिलेख ---------------------------हेतु नगद प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर

राजकुमार अग्ये
अधिवक्ता/नोटरी

COUNTERFOIL

...क अपने पास रख लें।
...attached and kept
by the Sender.

पोस्टल आर्डर

₹ 10

POSTAL ORDER

किसे अदा करना
To whom payable ______

किस डाकघर में
At what Office ______

क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed ______

भेजने की तारीख
Date sent ______

47F 568755

दस टका दश टाका दस रुपिया हत्तु रूपायी ... पत्तु रुपा दहा रुपये ... दस रुपए ... दश रूप्यका

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO वरिष्ठ महाप्रबन्धक पावर ग्रिड कार्पोरेशन लिमि० को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

श्रीमती सुमित्रा वर्मा
केन्द्र 2 बार
गाजीपुर ... 2...

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT ______ के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

7.5.19

47F 568755

Sh. Kashmi pls discuss & n.a.p.

प्रति,

श्रीमान् वरिष्ठ महाप्रबधक / जनसूचना अधिकारी,
पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन बोईसर
मॉ गांव रोड (बेटे गांव) जिला पालजर

विषय :- सूचना के अधिकार के तहत् जानकारी प्रदान करने बाबत्।

महोदय,

सादर निवेदन है कि, मैं श्रीमती सुमित्रा बाई कन्नन, उम्र लगभग 53 वर्ष पति स्व. व्ही. कन्नन निवासी– हा.मु. केन्दईखार (कोटबारिन पारा) जमनीपाली तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) की हूं कि मैं व्ही कन्नन की दूसरी पत्नी हूं मुझे सूचना जानने के अधिकार के तहत् मेरे पति स्व. व्ही.कन्नन को उनके मृत्यु उपरांत प्राप्त होने वाली पी.एफ. जी.पी.एफ. एवं अन्य मद से प्राप्त होने वाली कुल कितनी राशि प्राप्त होनी है, कि जानकारी मुझे सूचना के अधिकार के तहत् प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त जानकारी को लेने के लिये जो शुल्क लगता है, आवेदन पत्र के साथ सलंग्न है।, उक्त दस्तावेज लेने मे जो शुल्क लगेगा देने के लिये तत्पर हूं।

उक्त दस्तावेज नही दी जाती है तो मुझे कारण सहित सूचित करे ताकि अपील की कार्यवाही की जा सकें।

कोरबा
दिनांक

आवेदिका

श्रीमती सुमित्रा बाई कन्नन,
पति स्व. व्ही. कन्नन
निवासी– हा.मु. केन्दईखार
(कोटवारिन पारा) जमनीपाली तहसील
कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)

सलंग्न :-

1. 10/– रू शुल्क

पावरग्रिड प.क्षे. II बोईसर
प्राप्त सं. 100
दिनांक 22/5/17

सूचना के अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत जानकारी के तहत श्रीमती सुमित्रा बाई द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार जानकारी निम्लिखित है |

1. श्री वी कन्नन, कर्मचारी संख्या : 60020346 की पावरग्रिड में उपलब्ध निजी मिसिल के आधार पर श्री सुमित्रा बाई का उनकी पत्नी के तोर पर कही भी उल्लेख नहीं पाया गया है ।
अत: आर टी आई एक्ट के सेक्शन 8(1) (J) के सन्दर्भ में कर्मचारी की माँगी गयी जानकारी उनको उपलब्ध नही कराई जा सकती ।

(मिथिलेश कुमार) 6/6/19